न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 41/2007 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नत्थे पुत्र महताब जाति जाट निवासी मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान ——— (फौत)

1/1 अशोक कुमार

1/2 अजीतसिंह

1/3 अनिल कुमार

1/4 शमशेर

1/5 सचिन पुत्रान नत्थे

1/6 भगवानी देवी बेवाह नत्थे

जाति जाट निवासी मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:——— अपीलांट

बनाम

1 कमलसिंह पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर

3 पी0 सी0 गुप्ता जाति महाजन (राडो सीड्स प्रा0 लि0 डायरेक्टर) निवासी प्लॉट नम्बर 132, सैक्टर 25, फरीदाबाद हरियाणा

:——— रेस्पो0 अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 30.3.2007

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0सं0 3 :– श्री रांजीव जैन

निर्णय दिनांक 10.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 128/2005 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2007, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नत्थे पुत्र महताव ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1030 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम में स्थित है । विवादित आराजी पर सदैव से ही प्रार्थी एवं प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त था । प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी सम्वत 2016 व 2020 में दर्ज है । विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है । अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 01 ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिल्लत करके विवादित आराजी अपने नाम करा ली । इसके बाद अप्रार्थी संख्या .01 ने अप्रार्थी संख्या 03 के हक में दिनांक 3.10.2005 को बाला बाला बयनामा तस्दीक करा दिया । अब अप्रार्थी नम्बर 03 इंतकाल दर्ज कराने की फिराक में है और प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 30.3.2007 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील पेश की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील मीमो को ही मेरी बहस मान ली जावे । अपील मीमो में निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी से रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । उक्त आराजी हमारे बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी है । सम्वत 2016 व 2020 के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता अर्थात हमारे दादा/ससुर का नाम अंकित है । परन्तु अप्रार्थी नम्बर 01 ने साज बाज होकर अपने नाम का अंकन करा लिया और बाद में उसने अप्रार्थी नम्बर 03 को भूमि का बेचान कर दिया । अब वे हमको आराजी से बेदखल करने पर उतारू है । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अल

विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 03 का कथन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1030 के सम्वत 2029 में साविक खसरा नम्बरान 315/1, 315/2, 315 इत्यादि थे । परन्तु प्रार्थी अपीलांट ने केवल हाल खसरा नम्बर 1030 का ही राजस्व रेकार्ड पेश किया है । जिसका हाल खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बर के समस्त रकवे का मिलान नहीं होता है । वादी प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को पुश्तैनी होना वताया है, जिसके लिये वादी प्रार्थी को सम्वत 2021 से लेकर 2029 तक के समस्त रेकार्ड पेश करने चाहिये थे, जो पेश नहीं किये गये है । ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी का वाद साबित नहीं है । विवादित भूमि मैंने रेकार्डेड खातेदार रेस्पो0 संख्या 01 से जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है और वक्त खरीद से काविज चला आ रहा हूं । मैं सदभावी केता हूं । भूमि पर काबिज हूं । ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि 2016–17 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 637 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है । धारा 212 के तीनों बिन्दू मेरे पक्ष में साबित है । अपीलांट के पक्ष में ये बिन्दू साबित नहीं है । इसीलिये तहत अदालत ने इनका धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र सही तौर पर खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया ।

6 दौराने विचारण अपील अपीलांट का देहान्त हो गया था । जिसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.7.2008 को स्वीकार कर अपीलांट नत्थे के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया था ।

7 प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । विवादित आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारों के हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके लिये धारा 212 के तीनों आवश्यक तत्वों प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति को देखना है । तहत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी अपीलांट विवादित भूमि के काबिज काश्तकार खातेदार हैं । इसके विपरीत जमाबन्दी सम्वत 2059 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ विवादित

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर

आराजी हाल खसरा नम्बर 1030 पर रेस्पो0 संख्या 01 कमल सिंह पुत्र कन्हैया जाट खातेदार के रूप में दर्ज है । एक रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है । इसके अलावा पक्षकारान ने विवादित आराजी का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा रेस्पो0 संख्या 03 को किया जाना स्वीकार किया है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में कब्जेधारी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता । चूंकि रेस्पो0 संख्या 03 बयनामा के आधार पर भूमि पर काविज है । इसलिये कानूनन उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ।

8 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि प्रार्थी अपीलांट ना तो विवादित भूमि का खातेदार है और ना ही वह काबिज है । इसके विपरीत रेस्पो0 विवादित भूमि के काबिज काश्तकार खातेदार है । इसलिये धारा 212 के तीनों आवश्यक तत्व प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में साबित न होकर रेस्पो0 के पक्ष में साबित है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा पेश की गई नजीर 2016–17 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 637 में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विद्वान तहत अदालत ने धारा 212 के तीनों बिन्दूओं को विवेचित करते हुये प्रार्थी अपीलांट का धारा 212 का प्रार्थना सही तौर पर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 30.3.2007 यथावत रखा जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

10